भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **3784**
दिनांक 18 मार्च , 2021 / 27 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कर्नाटक में उड़ान योजना

3784. श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उड़ान नामक क्षेत्रीय संपर्क योजना शुरू की है, और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं और उपलब्धियां क्या है;

(ख) ऐसे असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें कर्नाटक में उड़ान योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है;

(ग) कर्नाटक में इस योजना के अंतर्गत प्रचालनगत मार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से पर्यटन और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत हासन में विमानपत्तन के प्रचालन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय विमान सम्पर्कता को प्रोत्साहित करने और जनसाधारण के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने हेतु दिनांक 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) का शुभारंभ किया है। 325 उड़ान मार्गों को प्रचालनिक बनाया गया है, जिसमें पाँच हेलीपोर्टों और दो वाटर एयरोड्रोमों सहित 56 उड़ान असेवित/अल्पसेवित हवाईअड्डे शामिल हैं। उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थानों को जोड़ने वाले अल्पेसेवित/असेवित मार्गों पर विमान प्रचालन को संभव बनाना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और आम जनता के लिए विमान यात्रा को किफायती बनाना है।

ii. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा चयनित एयरलाइन प्रचालकों को रियायतों की दृष्टि से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं ताकि असेवित/अल्पसेवित हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों/वाटर एयरोड्रमों से प्रचालनों को प्रोत्साहित कर सकें और विमान किरायों को किफायती बनाए रखें।

iii. व्यवहार्यता अंतर वित्पोषण (वीजीएफ) के रूप में चयनित एयरलाइन प्रचालकों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। संबंधित राज्य सरकारें अपने राज्यों से संबंधित आरसीएस उड़ानों के लिए वीजीएफ के प्रति 20% भाग प्रदान करती हैं। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वीजीएफ का भाग 10% है।

iv. आरसीएस उड़ाने आरंभ होने की तिथि से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए आरसीएस उड़ानों हेतु आरसीएस हवाईअड्डों से चयनित एयरलाइन प्रचालकों द्वारा आहरित विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर 2% की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

v. एयरनाइनों को आरसीएस उड़ानों में आरसीएस सीटों (40 सीटों तक सीमित) के रूप में लगभग 50% सीटों को आरक्षित रखने की अपेक्षा है।

vi. क्षेत्रीय सम्पर्कता निधि (आरसीएफ) का सृजन 40 टन से अधिक एमटीओडब्ल्यू (अधिकतम टेक-ऑफ वजन) वाले विमान पर उड़ान के प्रत्येक प्रस्थान हेतु 5000 रुपए का लेवी लगाकर किया गया है, केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर।

vii. संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, देश के पांच क्षेत्रों में मार्ग आवंटन समान रूप से वितरित किया गया है यथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर (प्रत्येक क्षेत्र में 30% की सीमा सहित)।

viii. आरसीएस-उड़ान बाजार आधारित तंत्र है। क्षेत्रीय विमान संपर्क मार्गों के विकास को बाजार शक्तियों के लिए छोड़ दिया गया है। इच्छुक एयरलाइनें विशेष मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर समय-समय पर आरसीएस - उड़ान योजना के तहत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं।

(ख) से (घ): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्रियान्वयन एजेंसी ने उड़ान योजना के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के तीसरे चरण तक बेलगावी, बीदर, हुबली, कलबुर्गी, मैसूरु और विद्यानगर हवाईअड्डों को सम्पर्कता प्रदान करने वाले मार्ग अवार्ड किए हैं। इस योजना के तहत कर्नाटक में अबतक प्रचालनिक आरसीएस मार्गों का विवरण अनुबंध-क में संलग्न है। हसन हवाईअड्डा, कर्नाटक उड़ान दस्तावेज में उपलब्ध नहीं है। आरसीएस-उड़ान एक बाजार आधारित योजना है। इच्छुक एयरलाइनें विशिष्ट मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर समय समय पर आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के समय अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। हवाईअड्डा जिसे आरसीएस – उड़ान योजना के अवार्ड किए गए मार्गों में शामिल किया गया है और आरसीएस प्रचालनों को आरंभ करने के लिए उनके उन्नयन/ विकास की आवश्यकता है, उनका विकास "असेवित तथा अल्पसेवित हवाईअड्डों के जीर्णोद्धार/विकास जीर्णोद्धार" योजना के तहत विकसित किया गया है।

*****

अनुबंध क

उड़ान के अंतर्गत कर्नाटक को जोड़ने वाली संचालित आरसीएस मार्गों की स्थिति

क्र.सं.	प्रस्थान हवाईअड्डे	आगमन हवाई अड्डे
1.	बैंगलोर	विद्यानगर
2.	मैसूर	चेन्नई
3.	विद्यानगर	बैंगलोर
4.	विद्यानगर	हैदराबाद
5.	बैंगलोर	बीदर
6.	बीदर	बैंगलोर
7.	बैंगलोर	इलाहाबाद
8.	बैंगलोर	दरभंगा
9.	बैंगलोर	कन्नूर
10.	बैंगलोर	कोल्हापुर
11.	हुबली	अहमदाबाद
12.	हुबली	चेन्नई
13.	हुबली	कोचीन
14.	हुबली	गोवा
15.	हुबली	हैदराबाद
16.	हुबली	कन्नूर
17.	हुबली	तिरुपति
18.	हुबली	हिंडोन
19.	बैंगलोर	ग्वालियर
20.	बैंगलोर	कलबुर्गी (गुलबर्गा)
21.	बैंगलोर	कलबुर्गी (गुलबर्गा)
22.	बेलगाम	अहमदाबाद
23.	बेलगाम	हैदराबाद
24.	बेलगाम	हैदराबाद
25.	बेलगाम	हैदराबाद
26.	बेलगाम	इंदौर
27.	बेलगाम	जोधपुर
28.	बेलगाम	कडपा
29.	बेलगाम	मुंबई
30.	बेलगाम	मुंबई
31.	बेलगाम	मैसूर

32.	बेलगाम	ओज़र (नासिक)
33.	बेलगाम	पुणे
34.	बेलगाम	सूरत
35.	बेलगाम	तिरुपति
36.	कलबुर्गी (गुलबर्गा)	बैंगलोर
37.	कलबुर्गी (गुलबर्गा)	बैंगलोर
38.	कलबुर्गी (गुलबर्गा)	तिरुपति
39.	कलबुर्गी (गुलबर्गा)	हिंडोन
40.	मैसूर	बेलगाम
41.	मैसूर	कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीआईएएल)
42.	मैसूर	गोवा
43.	मैसूर	हैदराबाद
44.	मैसूर	हैदराबाद
45.	बैंगलोर	मैसूर
46.	मैसूर	बैंगलोर